न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 07 / 2019

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

1. भीमसिंह पुत्र सांगसिंह
   राजपुरोहित निवासी– कानोडिया,
   तहसील– शेरगढ, जोधपुर।

1. मगीदेवी पुत्री जुहारसिंह पत्नी पुखराजसिंह, निवासी– खींचन, तहसील फलौदी।
2. धनीदेवी पुत्री जुहारसिंह पत्नी रूपसिंह निवासी– जोधपुर
3. पप्पूदेवी पुत्री जुहारसिंह पत्नी सुमेरसिंह निवासी– बावडी कला तहसील फलौदी
4. किशनादेवी पुत्री जुहारसिंह पत्नी किशनसिंह निवासी– कोठडी तहसील कोलायत, बीकानेर
5. भोमसिंह पुत्र जुहारसिंह निवासी– खीचंन तहसील फलौदी
6. रावतसिंह पुत्र जुहारसिंह निवासी– खीचंन तहसील फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 29.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 16 / 2018 अनवान मगीदेवी बनाम भोमसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री वी.एल.एस. राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3. रेस्पो0 संख्या 5 व 6 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 16 / 2018 अनवान मगीदेवी बनाम भोमसिंह वगैराह में पारित निर्णय

दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 7.12.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस सुनी।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है क्योंकि रेस्पो0 की प्रथम अपील लगभग 33 वर्ष पश्चात पेश की गई जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी जो अस्वीकार किये जाने योग्य थी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील दर्ज होने के 15 दिन पश्चात ही प्रभावित पक्षकारों को सुने ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के तहत प्रस्तुत प्रथम राजस्व अपील में यह बताया कि उनके पिता स्व0 जुहारसिंह की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 3.19 बीघा, ख0सं0 75 रकबा 0.07 बीघा, ख0सं0 11 रकबा 51.19 बीघा, ख0सं0 55 रकबा 127 बीघा भूमि ग्राम खीचंन में आई हुई है और वर्तमान के सभी रेस्पोडेन्टस उनकी संताने है। खातेदार जुहारसिंह के फौत होने पर उनके दो पुत्रों भोमसिंह व रावतसिंह के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 232 स्वीकृत कर दिया गया जबकि उनके अन्य 04 जायन्दा पुत्रियां भी थी। जिनका भी हक–हिस्सा उक्त वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है अतः उक्त नामा0 संख्या 232 खारिज किया जाकर हम रेस्पोडेन्टस के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश किया जावें। उपखण्ड अधिकारी फलौदी न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए खातेदार जुहारसिंह के पुत्रों व पुत्रियों यानि रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के नाम नामा0 दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2018 को पारित कर दिये है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह द्वितीय अपील पेश की है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खातेदार जुहारसिंह के देहान्त उपरान्त उनके दो पुत्रों भोमसिंह व रावतसिंह के नाम से नामा0 स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि के ख0सं0 55 रकबा 127 बीघा में से 15 बीघा

भूमि राष्ट्रीय उच्च मार्ग ऑथिरिटी को दे दी गई। शेष 112 बीघा में से भोमसिंह व रावतसिंह के द्वारा अपनी भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि 28 बीघा भूमि मुझ अपीलान्ट भीमसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विलेख दस्तावेज के दिनांक 24.12.1985 को विक्रय कर दी गई। तब से अपीलान्ट उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन तक नहीं किया गया।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जब रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की तब उनके द्वारा मात्र अपने भाईयों भोमसिंह व रावतसिंह को ही रेस्पो0 पक्षकार बनाया, अपीलान्ट जो कि तत्समय में उक्त वादग्रस्त भूमि में से 28 बीघा भूमि का रेकर्डेड खातेदार है एवं राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग में 15 बीघा भूमि के सार्व0 निर्माण विभाग को बिना सूचना व नोटिस दिये ही एकपक्षीय आदेश पारित करवाते हुए पूरे खसरा भूमि का अपीलाधीन नामा0 संख्या 222 को निरस्त करवा लिया जो विधि विपरित व अपीलान्ट के अधिकारों को प्रभावित करने वाला है जिसे निरस्त किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान भूमि में से 15 बीघा भूमि सार्व0 निर्माण विभाग, 28 बीघा भूमि अपीलान्ट के नाम हो जाने के उपरान्त मौक पर बंटवाडा हो जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही एक खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था जिसमें मुझ वादी/अपीलान्ट के पक्ष में खातेदारी हिस्सा रखने का अधिकारी मानते हुए डिक्री पारित की जा चुकी है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह कथन किया कि विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्चा न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णय के अनुसार बेटी अपने पिता की भूमि व जायदाद में हिस्सा मांगने का अधिकार तभी रखती है जब उनके पिता की मृत्यु 2006 के बाद हुई हो परन्तु इस प्रकरण में खातेदार जुहारसिंह की मृत्यु वर्ष 2006 के पूर्व ही हो चुकी थी जिसके पश्चात फौतेदगी दर्ज करते समय रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे अथवा प्रकरण प्रभावी पक्षकारों की सुनवाई करने हेतु तथा नये सिरे से निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके पिता स्व0 जुहारसिंह की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 3.19 बीघा, ख0सं0 75 रकबा 0.07 बीघा, ख0सं0 11 रकबा 51.19 बीघा, ख0सं0 55 रकबा 127 बीघा भूमि ग्राम खीचंन में आई हुई है और वर्तमान के सभी रेस्पोडेन्टस उनकी संताने है। खातेदार जुहारसिंह के फौत होने पर उनके दो पुत्रों भोमसिंह व रावतसिंह के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 232 स्वीकृत कर दिया गया जबकि उनके अन्य 04 जायन्दा पुत्रियां मगीदेवी, धनीदेवी, पप्पूदेवी, किशनादेवी भी थी। जिनका भी हक–हिस्सा अपने पिता की उक्त खातेदारी वाली वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है अतः उनके भाईयों के नाम स्वीकृत किया गया उक्त नामा0 संख्या 232 खारिज किया जाकर अपने भाईयों के साथ–साथ हम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम से भी राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश किया जावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार खातेदारी वाली भूमि में मृतक के सभी वारिसान यानि पुत्रों के साथ पुत्रियों का भी समान अधिकार मानते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 232 को निरस्त कर दिया जो बहाल रखे जाने योग्य है।

8. रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 232 को स्वीकृत करते समय हम रेस्पो0 को किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई और न ही हमें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया ऐसे में पारित नामा0 आदेश शून्य की श्रेणी में आता है जिसके लिये किसी प्रकार की म्याद बाधा आडे नहीं आती है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा यदि हमारे हिस्से वाली की भूमि खरीद भी कर ली है तो वह अवैध थी क्योंकि रेस्पो0 संख्या 5 व 6 हमारे भाईयों को हमारे हक–हिस्से की भूमि में से किसी प्रकार से बेचान का कोई अधिकार नहीं था। प्रथम अपील में हमारे द्वारा अपने पिता के देहान्त उपरान्त स्वीकृत किये गये फौतेदगी नामा0 संख्या 232 में अंकित व्यक्तियों यानि हमारे भाईयों को ही पार्टी बनाया गया था, तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए व्यक्तियों से हमे किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं करना था। इन सभी तथ्यों के आधार पर ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ने हमारी प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 232 को निरस्त कर हमारे नाम

भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

9. हमने विद्वान अधिवक्ताओं के की गई बहस पर मनन किया एवं अपील के तथ्यों का, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में अपनी प्रथम आपत्ति यह कि है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील मे उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वे उक्त समय में ख0सं0 55 की 28 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार दर्ज रहे और आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही व उन्हें सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया। इसके अतिरिक्त उक्त खसरान में से 15 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में जाने पर सार्व0 निर्माण विभाग को भी पक्षकार संस्थित नहीं किया। इस स्थिति में वादग्रस्त भूमि के वर्तमान समय में रेस्पो0 संख्या 5 व 6 के अतिरिक्त अपीलान्ट भीमसिंह व सार्व0 निर्माण विभाग भी प्रभावित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय को उल्लेखित खसरान भूमि के वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु उनकी उपस्थिति तथा समुचित अवसर प्रदान के उपरान्त ही आदेश पारित करना चाहिये था। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित को निम्नानुसार संशोधित किया जाना उचित रहेगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.18 के क्रम में उसे इस प्रकार से संशोधित किया जाता हैकि तहसीलदार फलौदी मृतक खातेदार स्व0 जुहारसिंह पुत्र सतीदानसिंह के सभी वारिसान के साथ–साथ अपीलान्ट को भी अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त प्रकरण में विधि अनुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक ..07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,